बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–7169/2017 उमेश चन्द एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.12.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर नियर, बाजार समिति, आरा–802301, बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर, नियर बाजार समिति, आरा–802301 एवं ऐसी अन्य संस्थान, जिसे बिहार सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उन संस्थानों में अपने बच्चों का नामांकन नहीं करायें। नामांकन के पूर्व संस्थान की मान्यता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।

ह०/–
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :–16/सी.1–11/2017–114 (आ० चि०) **/पटना, दिनांक :–**25.01.2018

प्रतिलिपि :–श्री खालिद अरशद, प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को पाँच प्रतियों में सी०डी० सहित सूचनार्थ तथा अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा–16 को भी उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/1/18
सरकार के विशेष सचिव

D:\irshad alam\letter.docx